


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इन्फोशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लागू में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 23.05.2025 | <p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील गैरसायल संख्या 5 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील सायलान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील सायलान का कथन है कि भले ही मूलवाद प्रारम्भिक डिक्री किया जा चुका हो, किन्तु अभी बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।</p> <p>वकील गैरसायलान ने कथन किया सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया प्रतिवादी स्वयं बंटवारा चाहते हैं।</p> <p>उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि गैरसायलान विवादित आराजी का बंटवारा कराना नहीं चाहते हैं। और सायलान को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। सायलान का मूलवाद बंटवारे का है, पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा या सायलान को बेदखल करने का प्रयास किया हो।</p> <p>उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया सायलान को कोई भी क्षति सम्भावित नहीं है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।</p> | |


मुख्य न्यायाधीश
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)